पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 1979/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0/2021–22 दिनांकः 20 अक्टूबर, 2021

विषय– समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 एवं एल0एम0वी0–5 तथा 5 कि0वा0 विद्युत भार तक के एल0एम0वी0–2 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल/ स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 21.10.2021 से 30.11.2021 तक समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) तथा 5 कि0वा0 तक के विद्युत भार के एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु **"एकमुश्त समाधान योजना"** लागू की गयी है।

उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0(वाणिज्य)/सीयू–दो/ओ0टी0एस0/2021–22 तद् दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संशोधित

"एकमुश्त समाधान योजना का पूर्ण विवरण"

विषय– **समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 एवं एल0एम0वी0–5 तथा 5 कि0वा0 विद्युत भार तक के एल0एम0वी0–2 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर सरचार्ज में छूट निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	उपभोक्ता श्रेणी एवं भार	विकल्प	विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट
1	एल0एम0वी0–1 (2 कि0वा0 के विद्युत भार तक)	(अ) एकमुश्त भुगतान (ब) 6 किश्तों में भुगतान	100%
2	एल0एम0वी0–1 (2 कि0वा0 से अधिक विद्युत भार)	एकमुश्त भुगतान	50%
3	एल0एम0वी0–2 (2 कि0वा0 के विद्युत भार तक)	एकमुश्त भुगतान	100%
4	एल0एम0वी0–2 (2 कि0वा0 से अधिक परन्तु 5 कि0वा0 विद्युत भार तक)	एकमुश्त भुगतान	50%
5	एल0एम0वी0–5 (समस्त विद्युत भार)	एकमुश्त भुगतान	100%

'एकमुश्त समाधान योजना' के मुख्य बिन्दु:–

1. **योजना की अवधि :–**

   यह योजना दिनांक 21.10.2021 से 30.11.2021 तक लागू रहेगी।

2. **योजना की प्रक्रिया :–**

   - इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (दिनांक 30.09.2021 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र, वेबसाइट पर ऑनलाइन कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।

   - उपभोक्ता कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (दिनांक 30.09.2021 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या (Account No) फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी।

   - उपभोक्ता यदि बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रेजिस्टर करें एवं बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज करें। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप) का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाईन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस0एम0एस0 के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाईट पर देख सकता है।

   - एल0एम0वी0–1 (2 कि0वा0 के विद्युत भार तक) श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को योजना में दिनांक 30.09.2021 तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ 6 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों अथवा स्वयं उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर सकता है।

3. **अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया :–**

- घरेलू (एल0एम0वी0–1) श्रेणी

क) 2 कि0वा0 तक के विद्युत भार

(i) उपरोक्त श्रेणी के सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि (अर्थात 30.09.2021 तक की मूल धनराशि + 30.09.2021 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 30.09.2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार) का **एकमुश्त भुगतान** योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा।

(ii) **किश्तों में भुगतान** करने वाले उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का दिनांक 30.09.2021 तक के विद्युत बीजकों में विलम्बित भुगतान अधिभार के रूप में लगायी गयी धनराशि फ्रीज कर दी जायेगी। बकाया धनराशि (सरचार्ज रहित) को 6 बराबर किश्तों में बाटने के पश्चात् उपभोक्ता को योजना अवधि में दिनांक 30.09.2021 के उपरान्त के सृजित बिल एवं प्रथम किश्त जमा करना होगा।

यदि किन्हीं कारण से उपभोक्ता एक माह में बिल एवं किश्त नहीं जमा कर पाता है तो उसे अगले माह में विगत एवं वर्तमान माह के बिल के साथ दो किश्तों की धनराशि अवश्य ही जमा करना होगा। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक के मूल बकाये के विरूद्ध की गयी समस्त किश्तों एवं मासिक बिलों का भुगतान किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता का दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा। यदि उपभोक्ता दो महीने तक किश्त जमा न कर पाने के कारण डिफाल्ट कर जाता है फिर भी किश्त अवधि (6 माह) में 30.09.2021 के मूल बकाये एवं इसके पश्चात् के माह के सभी मासिक बिल सरचार्ज सहित का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उसे दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा।

योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले बकायेदार उपभोक्ता द्वारा किश्त अवधि में समस्त किश्तों का भुगतान न किये जाने पर यदि डिफाल्ट हो जाता है तो भविष्य में आने वाली छूट से सम्बन्धित योजना का लाभ पाने के लिये उक्त बकायेदार उपभोक्ता अर्ह नही होंगे।

ख) 2 कि0वा0 से अधिक विद्युत भार के सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि (अर्थात 30.09.2021 तक की मूल धनराशि एवं उक्त बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार का 50 प्रतिशत + 30.09.2021 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 30.09.2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार) का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार का 50 प्रतिशत को समाप्त कर दिया जायेगा।

- **समस्त विद्युत भार के निजी नलकूप (एल0एम0वी0–5) श्रेणी**

उपरोक्त श्रेणी के सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि (अर्थात 30.09.2021 तक की मूल धनराशि + 30.09.2021 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 30.09.2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार) का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा।

- **वाणिज्यिक (एल0एम0वी0–2) श्रेणी**

क) 2 कि0वा0 तक के विद्युत भार के सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि (अर्थात 30.09.2021 तक

की मूल धनराशि + 30.09.2021 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 30.09.2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार) का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा।

ख) 2 कि0वा0 से अधिक परन्तु 5 कि0वा0 विद्युत भार तक के सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि (अर्थात 30.09.2021 तक की मूल धनराशि एवं उक्त बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार का 50 प्रतिशत + 30.09.2021 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 30.09.2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार) का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.09.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार का 50 प्रतिशत को समाप्त कर दिया जायेगा।

4. कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप)से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा।
5. इस योजना के अन्तर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी।
6. इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी0डी0 फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।
7. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा बिल मैनुअली संशोधित कर उसे ऑनलाइन फीड किया जायेगा एवं उसका भुगतान योजना अवधि में ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही निर्गत संशोधित बीजक में योजना में छूट हेतु योग्य अधिभार धनराशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।
8. उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। इससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन–ओ0टी0एस0 मद में ही लिये जायेंगे।
9. योजना में लाभ लिये जाने वाले बकायेदार उपभोक्ताओं को फ्लैग (टैगिंग) किया जायेगा।
10. योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों का भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके।
11. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।
12. उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी RoE (Return on Equity) की धनराशि से किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक